5000 Rs.

Stamp duty Paid under I. S. Act 1899 Rs. 2,2060-00
Under Municipal Act 1959 Rs. 3000-00
Under Development Act .... Rs. 3000-00
28060-00

paid
6000-00
NC 54-00
6054-00

नाम लेख्यकारी पिता का नाम वो वास स्थान आदि ।	उमाचरण रूज पिता स्व0 वंशीधर रूज जाति मोदक पैशा खेती निवास स्थान दुमका टाउन तालुकघाट दुमकर तपे बेलपता थाना सबडिविजन वो रजिष्ट्री आफिस दुमका जिला दुमका। भारतीय ।
नाम क्रैता पति का नाम वो निवासस्थान अदि ।	श्रीमति अल्पना देवी सलमपुरिया पति श्री नागर प्रसाद सलम-पुरिया जाति अग्रवाल पैशा अमश्रित निवास स्थान दुमका टाउन थाना सबडिविजन वो रजिष्ट्री आफिस दुमका जिला दुमका भारतीय ।

5000Rs.

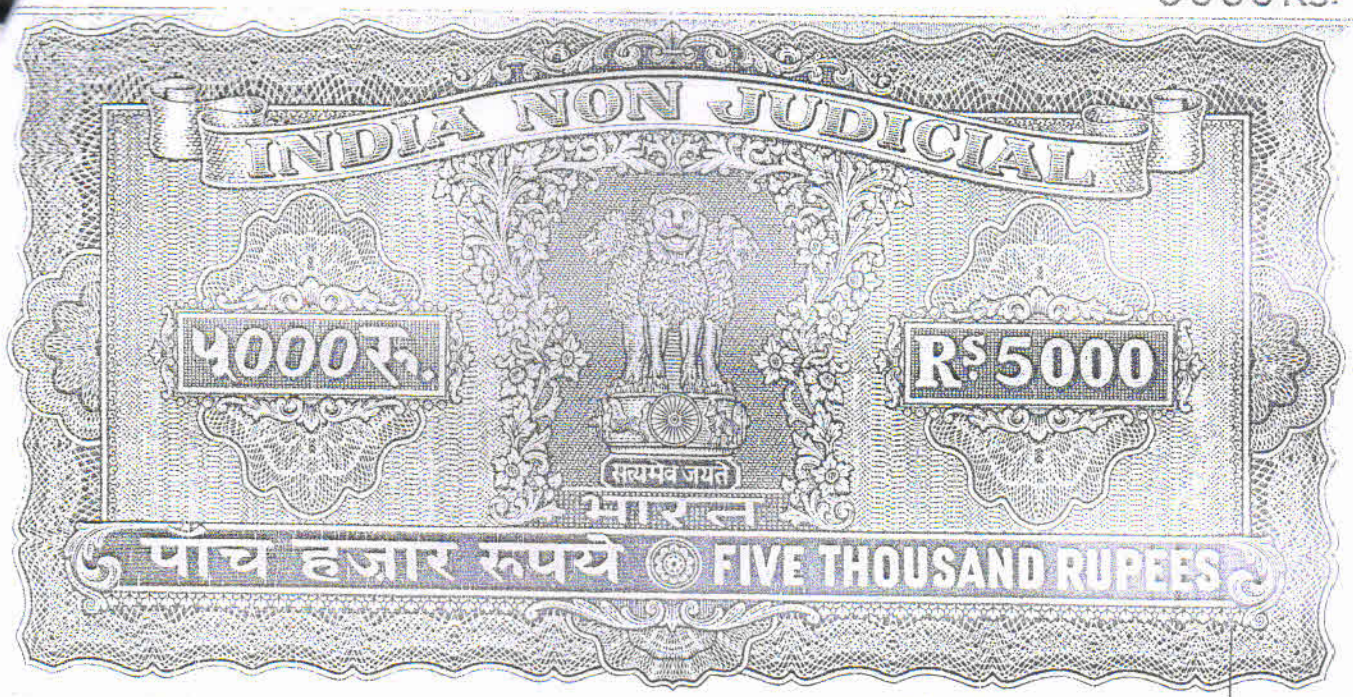

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

लेख्य प्रकार :- बिक्रय पत्र सेल डीड ।

सम्पत्ति का मूल्य :- मो0 1,50,000-00 § एक लाख पच्चास हजार § रुपया मात्र ।

सम्पत्ति का पूर्ण बिबरण जिसे बिक्रय करते हैं । § तफसील हक बसौड़ी मकान पक्का एकतल्ला मय साज-सरन्जाम अगुवाड़ा वो पिछुवाड़ा जिसमें सामने से ग्रील लगा हुआ है, रसोई गृह वो सप्टीक पैखानावो कुआं पक्का वो सतह सहन वो जमीन के जिस पर मकान वाके हैं जिसका जमीन्दारी खसरा दाग न0 1391 । रकवा 0-2-0 § दो कट्ठा § मात्र सालाना खजाना 2-00§दो§ रुपया अलावे टेक्स वगैरह वाकै दुमका टाउन थाना न0 7 थाना सबडिविजन वो रजिष्ट्री आफिस दुमका जिला दुमका तौजी न0 6 दुमका स्टेट के वाकै हैं अन्दर दुमका नगरपालिका वार्ड न0 5 वो होल्डिंग न0 163 पुराना वो नया वार्ड न0 9 वो होल्डिंग न0 166/206 बसौड़ी जमावन्दी न0 2/9 जिसका

5000Rs.

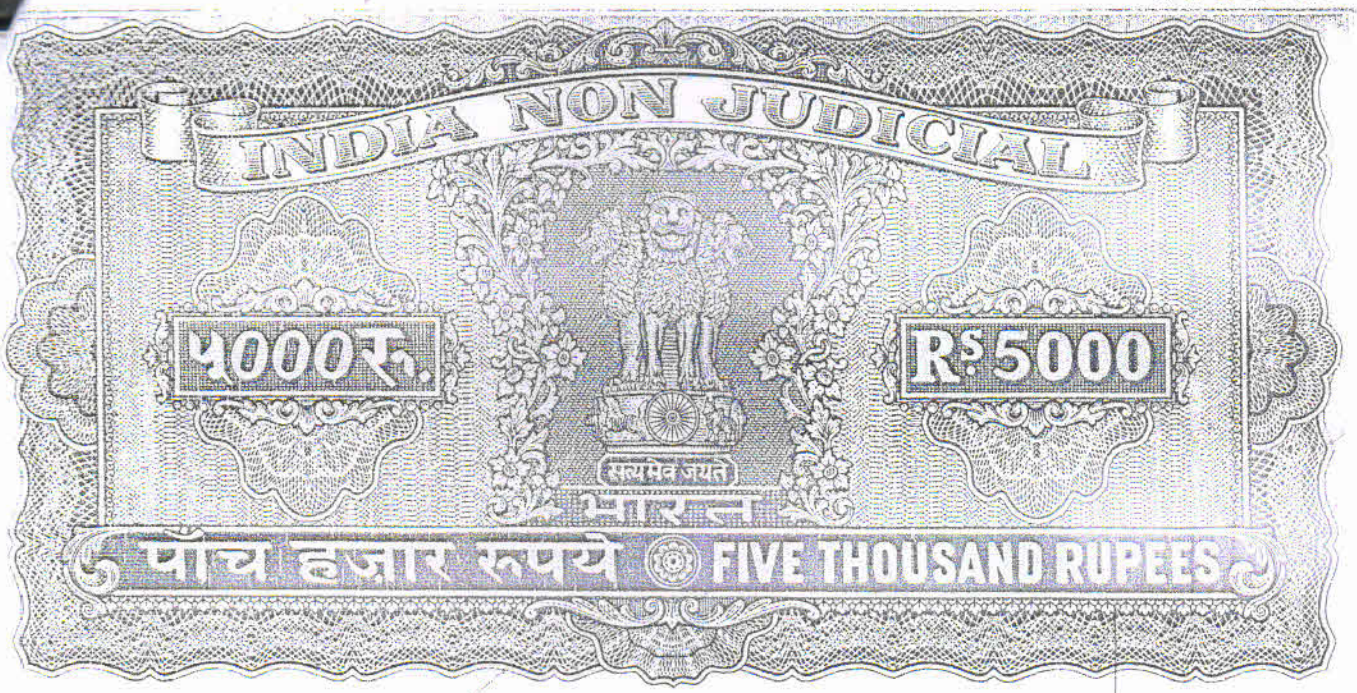

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

चौहद्दी इस प्रकार है ।

उत्तरः- गली बाद मकान अतुल चन्द्र मंडल ।

दक्षिणः- श्री निवारण चन्द्र रूज का मकान ।

पूरवः- इसी दाग का अंश जो बचा हुआ है रकवा 0-2-6 धूर ।

पश्चिमः- मेयरापाड़ा रोड ।

बिदित हो कि लेख्यकारी के पिता वंशीधर रूज वो चाचा नलीनाथ रूज ने धुलोट चन्द्र लायक पित- स्व0 मुकुन्द चन्द्र लायक निवास स्थान दुमका टाउन थाना दुमका टाउन वाले से वसौड़ी अराजी 0-4-6 चार कटठा छः धूर जिसका खजाना 4 रूपया 13 आना 9 पाई है एवं जिसका दाग न0 1391 वाकै दुमका टाउन थाना न0 7 का है इसीको क्रय किया था जिस बिक्रय पत्र की रजिष्ट्री दुमका रजि-ष्ट्री आफिस में हुई है जिसका पुस्तक संख्या । जिल्द सं0 । पृष्ट सं0 556 से 517 में निबंधित जिसकी संख्या 11 सन 1943 ई0 है ।

5000Rs.

यहकि क्रय करने के पश्चात यह सम्पत्ति आपसी बंटवारा में अकैले लेखयकारी के पिता वंशीधर रूज को मिली वो उन्होने अपना नाम अंचल कार्यालय दुमका में दाखिल खारीज कराने के लिये आवेदन पत्र दिये एवं उक्त नलीनाथ रूज ने एक कीत्ता आवेदन पत्र अंचल कार्यालय दुमका में म्यूटेशन कैश न0 24/ 1961-62 में दिया कि उनका उपरोक्त सम्पत्ति से नाम हटा लिया जाय वो सिर्फ अकैले वंशीधर रूज के नाम से दाखिलखारीज कर दिया जाय ।

यहकि उक्त म्यूटेशन कैश न0 24/1961-62 में मिति 24-9-61 ई0 को आवेदक वंशीधर रूज के नाम से दाखिल खारीज की स्वीकृति प्रदान की गई एवं वंशीधर रूज ने अपना नाम अकैले उक्त सम्पत्ति के लेकर दाखिल खारीज करवा लिया है एवं उसमें गृहादि एवं चाहर दिवारी ईत्यादि बनवाकर वसोवास करते चले आये । उनके मृत्यु

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

के पश्चात लेखयकारी उक्त सम्पत्ति के स्वामी हुए । लेखयकारी को दो बहन है जिन लोगों का नाम श्रीमति दुर्गा सैन पति डा0 अनिल कुमार सैन वो श्रीमति गीता रानी दां पति स्व0 सुखेन्द्र नाथ दां है जो शादी शुदा है वो अपने ससुराल में रह रही है । इनलोगों को इस वसौड़ी सम्पत्ति से कोई वास्ता वो सरोकार नहीं है जैसा कि इनलोगों ने बिक्रय पत्र में गवाह स्वरूप अपना अपना हस्ताक्षर किया है । भविष्य में उनलोगों के तरफ से इस सम्पत्ति के लेकर किसी किस्म का उज़ुर आपत्ति अगर कोई करे तो उसका उत्तर देने का उतरदायित्व हम लेखयकारी उमाचरण रूज के उपर होगी वो वैसे हालत में लेखयकारी मयवारिसान हरजा वो खसारा का दायादार होंगे ।

यहकि सम्पत्ति पुराना है एवं उसके जीर्णोधार किये बगैर कोई भी व्यक्ति यहां तक की आज कल के जमाने में किराया पर

Uma Charan Roy
6/12/96

3000Rs.

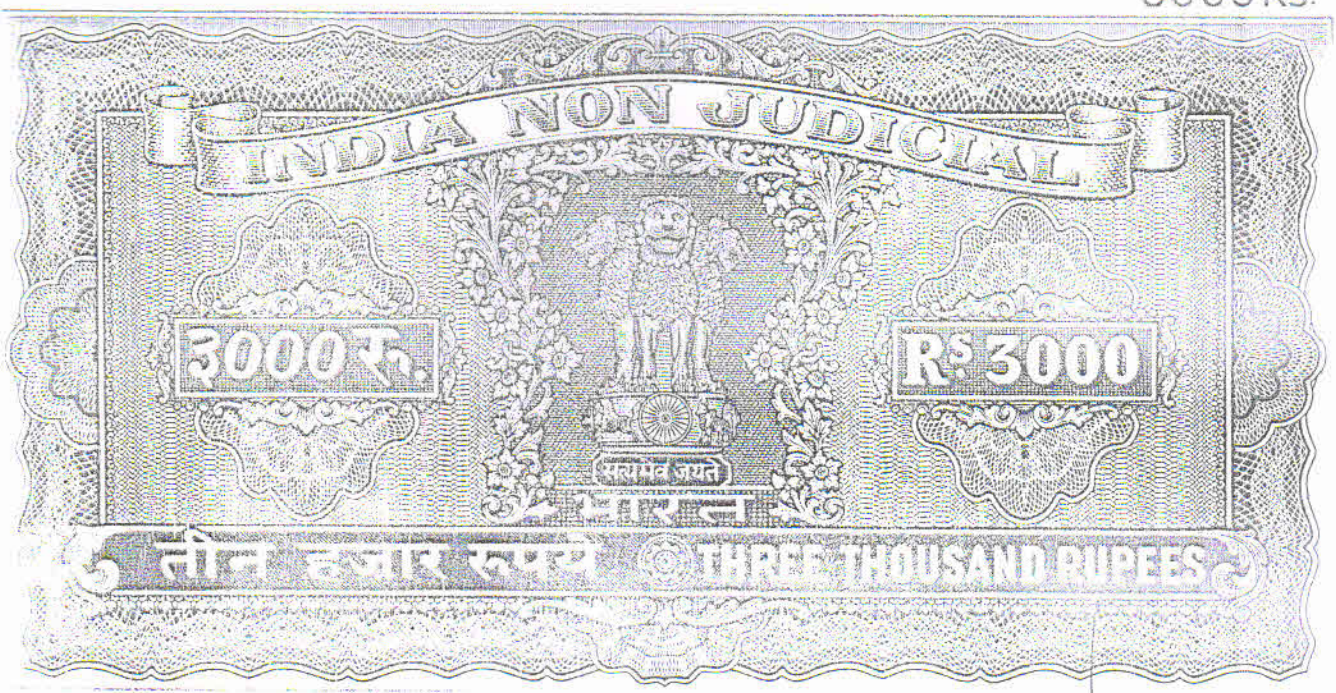

रहने के लिये भी प्रस्तुत नहीं है हलांकि यह सम्पत्ति दुमका टाउन के मयरापाड़ा रोड दुमका दुर्गा मण्डप के नजदीक मकान बना हुआ है ।

यहकि अर्थाभाव के कारण लेख्यकारी उपरोक्त मकान काजीर्णोधार करा नहीं पा रहे हैं और इसमें दिन बदिन क्षति हो रहा है इसलिये यह उचित वो आवश्यक समझा गया कि उपरोक्त वसौड़ी सम्पत्ति को बिक्री कर दिया जाय तथा उक्त मूल्य से अन्य व्यवसाय किया जा सके । इसलिये लेख्यकारी ने उक्त सम्पत्ति को ब्रिक्रय करने की इच्छा प्रगट की वो आप क्रेता श्रीमति अल्पना देवी सलमपुरिया तथा आपके अभिभावकों ने उक्त सम्पत्ति को देखी एवं इसको क्रय करने के लिये प्रस्तुत हुए वो कीमत जमीन का मो0 1,00000-00 एवं मकान का कीमत मो0 50,000-00 कुल टोटल कीमत मो0 150000-00 रूपया

Uma Charan Roy
6/12/96

20 Rs.

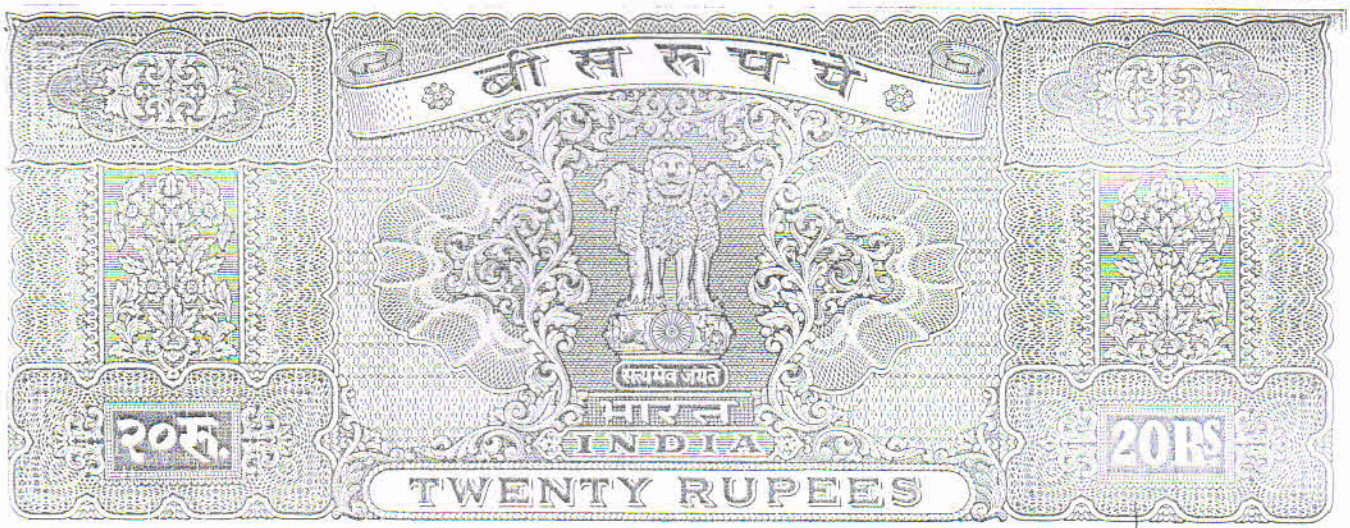

में क्रय करने के लिये प्रस्तुत हुए यह मूल्य इस समय के बाजार का सर्वोच्च मूल्य है एवं लेखयकारी ने भी उक्त मूल्य में उक्त सम्पत्ति को क्रेता श्रीमति अरूणा देवी सलमपुरिया को बिक्रय कर देने के लिये प्रस्तुत हुए इसलिये लेखयकारी अपने खुशी राजी से प्रसन्नचीत स्वस्थ मस्तिष्क की दशा में रहकर बैला जबर दबाब वो बहकाव किसी दूसरे के उक्त क्रेता श्रीमति अरूणा देवी सलमपुरिया से कीमत का मो0 1,50,000-00 रूपया नगदी पाकर उपर वर्णित इस दलील के खाना न0 5 की वतौड़ी सम्पत्ति को आप क्रेता महोदया को बिक्रय कर दिया तथा उक्त सम्पत्ति के उपर आप क्रेता महोदया को आज की तिथि से कब्जा ठीक अपने तुल्य करवा दिया\ इस सम्पत्ति पर लेखयकारी को आज तक जिस किस्म का स्वत्व वो स्वामित्व वो अधिकार आज तक प्राप्त था अथवा जो कुछ भविष्ये में प्राप्त होता वह सब ठीक उसी प्रकार आप क्रेता महोदया को आज की तिथि से प्राप्त हो गया ।

अब आप क्रेता महोदया आज की तिथि से उक्त सम्पत्ति

6/12/96

20 Rs.

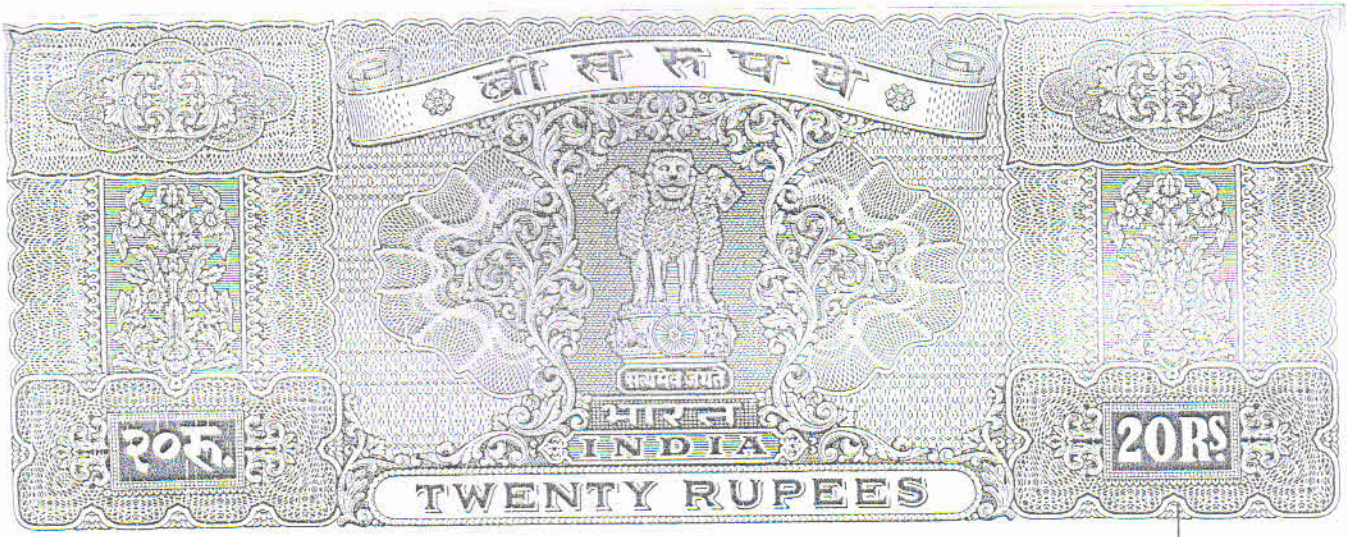

के उपर काबीज वो दखलकार होकर वो रहकर पुस्त दरपुस्त भोग दखल किया करें तथा इच्छानुसारदान बिक्रय आदि करें इसमें हमलेख्यकारी मय वारिसान को किसी किस्म का उजुर वो आपत्ति भविष्य में नहीं होगा और न कर सकेंगे करने से वह नाजायज समझा जायगा ।

यह सम्पत्तिहरेक वारदेन से पाक वो साफ है इसमें किसी किस्म का ऋण आदि नहीं है अगर भविष्य में ऐसा कुछ पाया जाय जिसके कारण आप क्रेता मय वारिसान को इस सम्पत्ति से अथवा इसके किसी अंश से बेदखल हो जाना पड़े तो वैसे हालत में हमलेख्यकारी मय वारिसान कुल मूल्य व्यय व्याज सहित आप क्रेता महोदया मय वारिसान को लौटा देने के लिये कानूनी वाध्य रहेंगे एवं काननी दण्डनीय भी होगे कहने का मतलब यह है कि सम्पत्ति सभी प्रकार से स्वच्छ है ।

मूल्य का सम्पूर्ण रुपया क्रेता महोदया से प्राप्त पाया कुछ भी बांकी नहीं रहा भविष्य में मूल्य न पाने के वारे में उजुर वो आपत्ति करें तो वह नाजाय होगा ।

यहकि इस सम्पत्ति के सम्पुष्टिकरण हेतु अगर भविष्य में और भी दलील दस्तावेज आदि की रजिष्ट्री करने की आवश्यकता हो तो वैसे हालत में लेख्यकारी मय वारिसान आप क्रेता मय वारिसान के

20 RS.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२० रु. 20 RS

TWENTY RUPEES

﴾ 9 ﴿

खर्च से उस प्रकार का दलील आदि की रजिष्ट्री करने के लिये कानूनी हमेशा तैयार रहेंगे ।

अब आप क्रेता महोदया को चाहिये कि उक्त सम्पत्ति के लेकर अंचल कार्यालय, दुमका में आवेदन पत्र देकर अपना नाम दाखिल खारीज करवा लेंगी तथा सलाना खजाना आदि नाम से अपनी दिया करेंगी एवं उक्त होल्डिंग को लेकर नगरपालिका दुमका के कार्यालय में भी अपना नाम दर्ज करवा कर नगरपालिका कर आदि नाम से अपनी दिया करेंगी ।

यह सब एकरार कर देकर यह विक्रय पत्र दलील बहक आप क्रेता श्रीमति अरूणा देवी सलमपुरिया पति श्री नागर प्रसाद सलमपुरिया निवास स्थान दुमका टाऊन थाना वो जिला दुमका वाली के प्रति तहरीर वो तामील कर दिया जो प्रमाणा रहे तथा समय पर काम आवे ।

नोटः- यहकि उक्त होल्डिंग का जिस प्रकार का नगरपालिका कर राजस्व अंचल कार्यालय, दुमका एवं बिजली बिल आदि जो कुछ बकाया था वह सब कुल लेखयकारी आज तक चुकता कर दिया हैं किसी प्रकार का पावना नहीं है।

ईति आज तारीख ६-१२-१९९६ ई०

Uma Charan Roy 6/12/96

टंकित किया ।
भोला सिंह ६।१२।९६ ई०
दुमका कोर्ट ।

टंकित की हुई इस विक्रय पत्र श्री मजमून को पढ़कर लेख्यकारी को सुना समझा दिया है, जिसको सुनकर वो सही पाकर मेरे सामने अपना हस्ताक्षर किये हैं।

का० रमेश प्र० सिन्हा, डीडराईटर
सा० दुमकाटाउन
६-१२-१९९६ ई०

नोट: आठवाँ लाइन के बारहवाँ शब्द के आखिरी में "नागर" को तेरहवाँ लाइन के शुरू में "पाया" काटकर लिखा हुआ है।

Uma Charan Roy 6/12/96.

मौजा – दुमका टाउन नं० ५
रिवाइज़ सर्किल – दुमका
थाना – दुमका नगर
अनुमंडल व जिला – दुमका

जमाबन्दी – दाग नं० – रकबा
नं० ४९ – 1391/अंश – डी० – कट्ठा – धुर
00 – 02 – 00
(दो कट्ठा)

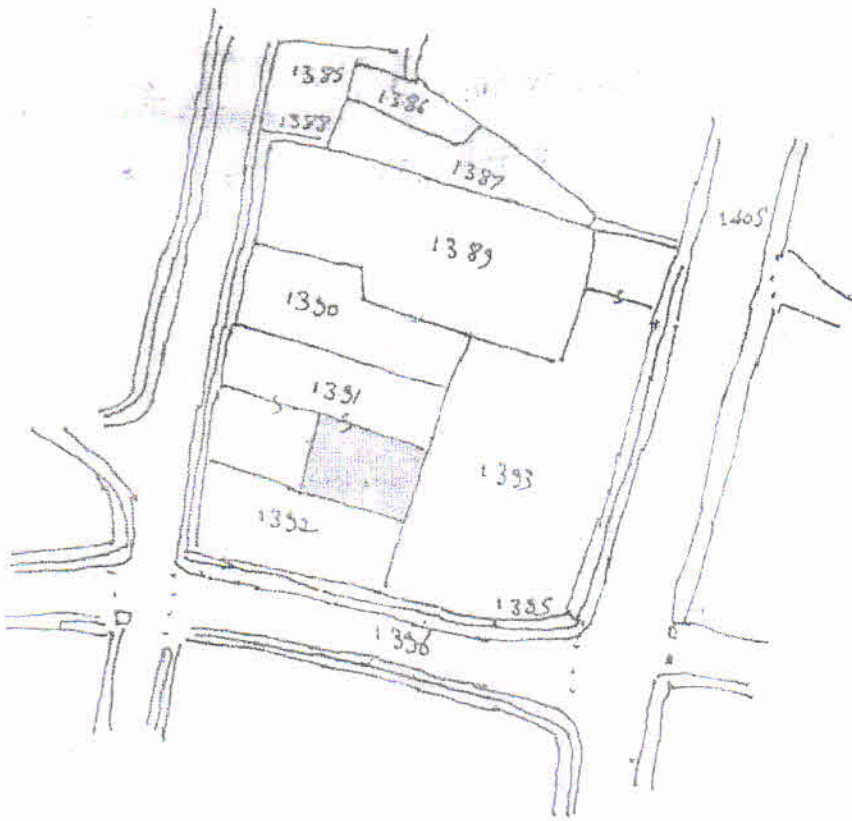

श्रीमती अरुणा देवी अलमपुरिया पति नागर प्रसाद अलमपुरिया निवास स्थान दुमका टाउन अबड़ीबीजन को थाना रजिस्ट्री ऑफिस दुमका जिला – दुमका

चौहद्दी
उत्तर – गली बाद मकान अतुल चंद मंडल
दक्षिण – निवारण चंद्र स्वर्ण का मकान
पुरब – इसी दाग का अंश 02 कट्ठा 06 धुर
पश्चिम – मेयरा पाड़ा रोड